न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 60/2012 जिला दौसा

1. प्रभाती पुत्री रमसी पत्नि मांगी लाल, जाति मीणा, निवासी ग्रम ठीकरिया हाल निवासी कानपुरा, तहसील दौसा , जिला दौसा ।

अपीलार्थी

बनाम

1. कजोड पुत्र श्रीया
2. रामकरण पुत्र श्रीया
3. कमलेश पुत्र मूल्या
4. बबलू पुत्र मूल्या
5. जगदीश पुत्र मनफूल
6. फैलीराम पुत्र मनफूल
7. रामखिलाडी पुत्र मनफूल
8. ग्यारसी लाल पुत्र मनफूल
9. रामकैलाश पुत्र मनफूल
10. श्रवण पुत्र मनफूल
11. सोमोती बेवा मनफूल
    जातियान मीणा, निवासी ठीकरिया, तहसील व जिला दौसा ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर दौसा दिनांक 4.12.2012

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री प्रदीप कुमार शर्मा
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 11 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 6.12.2017

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 4.12.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम देहलाडी, तहसील व जिला दौसा स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 21/1 लगायत 21/53 रकबा 110 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 5/1 लगायत 5/12 रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा , कुल रकबा 130 बीघा 14 बिस्वा में से 1/3 हिस्से का खातेदार घासी पुत्र बक्सा मीणा था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 21 तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 12.1.1970 को श्रीया व मनफूल पि. घासी के नाम तस्दीक किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 21 दिनांक 12.1.1970 के खिलाफ मृतक खातेदार घासी के पुत्र रमसी की पुत्री प्रभाती अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 21.4.2011 को मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की थी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.12.2012 द्वारा खारिज किये जाने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 4.12.2012 एवं नामांतरकरण संख्या 21 दिनांक 12.1.70 निरस्त कर प्रकरण विधिवत जॉच कर मृतक घासी की कृषि भूमि के 1/3 भाग का नामांतरकरण अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक करने हेतु प्रकरण तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । बहस के दौरा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार घासी था जिसके तीन पुत्र श्रीया, मनफूल व रमसी थे । रमसी की मृत्यु घाी की मृत्यु से पूर्व ही हो गई थी । रमसी के उत्तराधिकारी उसकी पुत्री प्रभाती व पत्नि धापा थी लेकिन घासी की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण में अपीलान्ट प्रभाती पुत्री रमसी व धापा पत्नि रमसी पुत्र घासी को छोड कर केवल घासी के दो पुत्र श्रीया व मनफूल के नाम नामांतरकरण तस्दीक कर दिया, जो विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट को प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी सर्वप्रथम 17.4.2011 को हुई थी और अपील दिनांक 21.4.2011 को जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत करदी थी तथा विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि आदेश 41 नियम 3 ए में मेन्डेट्री प्रावधान है कि मियाद बाहर अपील में सर्वप्रथम देरी क्षमा करने के बाबत निर्णय किया जावेगा और देरी क्षमा कर देने के पश्चात् ही मैरिट पर निर्णय किया जावेगा , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को गुणावगुण के आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि मीणा जाती में यह परम्परागत कानून है कि पुत्र होने की अवस्था में पुत्री को अधिकार नहीं मिलते यदि पुत्र ना हो तो पुत्री को ही उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं । इसलिये भी रमसी की पुत्री प्रभाती को भी रमसी के हिस्से की भूमि पर उत्तराधिकार प्राप्त है । उनका कहना था कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 11.5.2012 को मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया हुआ था जो दिनांक 8.5.2017 को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश स्थगन होने के बावजूद पारित किया गया है , जो विधिक नहीं है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की अपील सरसरी तौर पर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे तथा मृतक घासी की विरासत का नामांतरकरण बाद विधिवत जॉच कर अपीलान्ट के नाम तस्दीक करने हेतु प्रकरण तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि मृतक घासी की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार दौसा द्वारा बाद जॉच मृतक घासी के पुत्रों श्रीया व मनफूल के नाम तस्दीक किया गया था जिसके खिलाफ अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 21.4.2011 को करीबन 40 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब का कथन असत्य व निराधार मानते हुये अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज की जै, जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि अपीलान्ट के यदि कोई अधिकार बनते हैं तो वे विचाराधीन दावे में ही तय होगें । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार घासी की विरासत का है । तहसीलदार द्वारा घासी की विरासत का प्रश्नगत नामांतकरण उसके दो पुत्र श्रीया व मनफूल के नाम तस्दीक किया गया है । अपीलान्ट घासी के तीसरे पुत्र रमसी की पुत्री होने के आधार पर घासी की भूमि में अधिकार चाहती है । विवादित भूमि के खातेदार मृतक घासी की विरासत का नामांतरकरण संख्या 21 तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 12.1.1970 को श्रीया व मनफूल पुत्रान घासी के नाम तस्दीक किया था जिसके खिलाफ अपीलार्थी द्वारा अपील जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 21.4.2011 को करीबन 41 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी । अपीलाधीन आदेश में यह माना है कि अपीलार्थी घासी के पुत्र रमसी की पुत्री कहकर अपील में आई है जबकि इसका कोई प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया। रमसी की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले हो चुकी है । पत्रावली पर उपलब्ध अपील व नामांतरकरण से इस कथन की सत्यता प्रकट होती है । अपीलान्ट जाति से मीणा है तथा मीणा जाति में रीति रिवाज के नियमानुसार लडकी को अधिकार नहीं मिलते । दावा उनवानी धापा बनाम मनफूल में उप जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 24.2.82 को आदेश दिये थे कि यदि धापा व ग्यारसा, रामकिशन, श्रवण अपने आपको रमसी पुत्र घासी के वारिस सिद्ध करते हैं तो सक्षम न्यायालय में अपने हक हकक निर्धारित कराने चाहिये । रमसी के उत्तराधिकार तय कराये जाने का कोई प्रमाण प्रसतुत नहीं किया गया । वर्तमान में प्रभाती के नाम से अपील की गई है जिसे मीणा जाति के रीति विाज के

अनुसार भाई होने की स्थिति में कोई अधिकार नहीं है । पुनः प्रभाती पुत्री बनकर नामांतरकरण के विरूद्ध आना संदेहास्पद है । नामांतरकरण का ज्ञान पटवारी से दिनांक 17.4.2011 को होने का कथन उचित प्रतीत नहीं हो । पूर्व में न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में प्रकरण विचाराधीन होने से अपीलान्ट को नामांतरकरण की जानकारी होना प्रमाणित करता है । अपीलान्ट द्वारा किया गया कथन असत्य व निराधार प्रतीत होता है । इससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को नामांतरकरण की जानकारी शुरू से ही थी । अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज की गई ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की अपील 41 वर्ष के निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक व उचित नहीं था । अपीलार्थी का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें उसके अधिकारों का निर्धारण होना है । नामांतरकरण की कार्यवाही वैसे भी भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । अपीलान्ट के यदि विवादित भूमि में कोई हक हकूक बनते हैं तो वे विचाराधीन दावे में ही तय होगें । हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

( चित्रा गुप्ता )
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर